राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

कमांक 5(8)एमई / ग्रुप–1 / 2000 पार्ट   जयपुर, दिनांक

प्रमाण पत्र   19 JUN 2007

यह प्रमाणित किया जाता है कि राज्य में राजकीय दन्त कॉलेज, जयपुर एंव निजी क्षैत्र में संचालित तीन डेन्टल कॉलेजों में स्नातकोत्तर (एमडीएस) पाठयकम प्रारम्भ किया जा चुका है परन्तु अभी भी दन्त विषय विशेषज्ञों की काफी कमी है। अतः राज्य की जनता को दन्त विषय विशेषज्ञों की विशिष्ठ सेवाए उपलब्ध नही हो पा रही है तथा विशेषज्ञों की कमी के कारण राज्य के रोगियों को अन्य राज्यों में जाना पडता है। साथ ही राज्य के डेन्टल कॉलेजों से बी. डी. एस का पाठयकम पूर्ण कर विघार्थियों को स्नातकोत्तर पाठयकम (एमडीएस) के अध्यापन हेतु अन्य राज्यों में जाना पड रहा है। राजसथान राज्य की आवश्यकताओं को दृश्टिगत रखते हुए तथा जनता की आशाओं / अपेक्षाओं के अनुरूप विषय विशेषज्ञो की सेवाए उपलब्ध करवाया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः विषय विशेषज्ञों की कमी तथा स्नातकोत्तर पाठयकम में अनुसंधान एव उपचार की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह प्रमाणित किया जाता है कि सुरेन्द्र डेन्टल कॉलेज एण्ड रिसर्च इन्स्टीटुयूट, श्रीगंगानगर में निम्नांकित 9 विषयों में स्नातकोत्तर पाठयकम (एमडीएस) शुरू किये जाने की महती आवश्यकता है:–

कम सं.	विषय	सीटों की सं.
1.	Periodontics	6
2.	Oral Medicine & Radiology	6
3.	Orthodontics	6
4.	Oral & Maxillofacial Surgery	6
5.	Conservative Dentistry & Endodontics	6
6.	Prosthodontics	6
7.	Pedodontics	6
8.	Oral Pathology & Microbiology	6
9.	Community Dentistry	6

आज्ञा से,

(राजीव सिंह)
शासन उप सचिव
0141–5116614

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री जी चिकित्सा शिक्षा विभाग
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा
3. सचिव, भारतीय दन्त परिषदएऐवान–ए–गालिब मार्ग,कोटला रोड,टेम्पल लैन,नई दिल्ली को प्रेषित कर लेख है कि उक्त प्रमाण पत्र सुरेन्द्र डेनटल कॉलेज एण्ड रिसर्च इन्स्टीटुयूट,श्रीगंगानगर द्वारा राज्य सरकार को दिये कथन के आधार पर प्रदान किया गया है।
4. रजिस्टार, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविधालय, जयपुर
5. प्रबन्ध निदेशक, सुरेन्द्र डेन्टल कॉलेज एण्ड रिसर्च इन्स्टीटुयूट,श्रीगंगानगर एलवीएल / 07 / 759 दिनांक 10.5.2007 एंव 787 दिनांक 5.6.2007 के सन्दर्भ में प्रेषित है।
6. रक्षित पत्रावली

(जे.एन.व्यास)
शासन सहायक सचिव